न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- श्री नरेन्द्र कुमार मीना
आर०ए०एस०

वाद संख्या :- 23/2010.

उनवान

1. भूरा पुत्र परता (मृतक होने से दावा)

1/1. सुरजमल
1/2. अर्जुन
1/3. हीरालाल
1/4. सीताराम
1/5. राजू उर्फ राजेन्द्र
1/6. श्योराम
— पुत्रान भूरा

1/7. प्रभाती पत्नि भूरा
जाति जाट निवासी ढाणी टीकावाली वार्ड नं० 21
शाहपुरा, जिला जयपुर

1/8. बिदामी पुत्री भूरा पत्नि किशन
1/9. नन्दी पुत्री भूरा पत्नि मुरली
— जाति जाट निवासी चिमनपुरा तहसील शाहपुरा

1/10. नारूडी पुत्री भूरा पत्नि कजोड़
1/11. गुल्ली पुत्री भूरा पत्नि मालीराम
— जाति जाट निवासी खरकड़ किशोरपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज०)

2. सुन्दर
3. कल्याण उर्फ किलाण
4. कालूराम
— पुत्रान परता जाति जाट निवासी ढाणी टीकावाली वार्ड नं० 21 शाहपुरा (जयपुर)

बनाम

1. नैक पुत्र रामनाथ
2. साधू पुत्र रामनाथ
3. माधोलाल पुत्र रामनाथ
— जाति जाट निवासी ढाणी टीकावाली वा० नं० 21 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

... (2)

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

23/2010

4. कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल
5. राजू पुत्र मांगीलाल

जाति जाट निवासी ढाणी टीबावाली वा०नं० 21 शाहपुरा जयपुर (राजस्थान)

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)
7. उप-पंजीयक अधिकारी तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर

.. प्रतिवादीगण

8. नारायण पुत्र बिरदू (मृतक दौराने वाद)

8/1. रामेश्वर
8/2. मुरली
8/3. पूरण
8/4. भागीरथ
8/5. गोवर्धन
8/6. राकेश
8/7. महेश

पुत्रान नारायण जाति जाट निवासी ढाणी टीबावाली वा०नं० 21 शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

8/8. सोनी पुत्री नारायण पत्नि हनुमान सहाय जाट निवासी ढाणी गंगासागर बिशनपुरा तहसील शाहपुरा

8/9. मन्नी देवी पुत्री नारायण पत्नि कानाराम

8/10. मेवादे वी पुत्री नारायण पत्नि हनुमान सहाय जाति जाट निवासी ढाणी महादेव सागर तनदेवन तहसील शाहपुरा (जयपुर) ... तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरुस्ती इन्द्राज रिकार्ड एवं नम्सूख हूक्स घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

=:0:=

उपस्थित:-

1. श्री रविशंकर अग्रवाल, अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. प्रतिवादीगण एक्स पार्टी।

निर्णय

दिनांक 28/02/2020

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित दावा बाबत दुरुस्ती इन्द्राजात

..3

III

23/2010

रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वादीगण की ओर से उचित अधिवक्ता श्री रविशंकर अग्रवाल दिनांक 23/3/2010 को न्यायालय हाजा में इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम जाजे खुर्द स्थित वादीगण एवं तरती की प्रतिवादी व उनके पुर्वजों की अभिलिखित खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि साबिक खसरा नम्बर 873/ रकबा 2 बीघा बिस्वा के सैटलमेन्ट की कार्यवाही के दौरान आराजी हाल खसरा नम्बर 1018/0.18, 1065/0.09 एवं 1066/0.12 हे० कुल किता 3 रकबा 0.39 हे० कायम कर मैट्रिक प्रणाली की नाप के अनुसार हाल रकबा 0.51 हे० के मुकाबिले 0.39 हे० रकबे का निर्धारण कर हाल राजस्व अभिलेख में वादीगण एवं तरती की प्रतिवादी व उनके पुर्वजों के नाम साबिक राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियों के विपरीत 0.12 हे० रकबा कम अंकित कर दिया / उक्त कमी रकबा 0.12 हे० को साबिक खसरा नम्बर 873 मीन व 874 मीन से कायम हुए हाल खसरा नम्बर 1019/0.07 हे० के रकबे को 0.05 हे० और मुमकिन आबादी के रूप में गलत दर्ज कर दिया तथा आराजी साबिक खसरा नम्बर 876 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा जिसका मैट्रिक प्रणाली की नाप के अनुसार बने रकबा 0.52 हे० के मुकाबिले हाल खसरा नम्बर 1010/0.17, 1011/0.10, 1012/0.01 1013/0.08, 1014/0.08 व 1009/0.24 हे० कुल किता-6 रकबा 0.68 हे० कायम कर साबिक रकबे के मुकाबिले 0.16 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगण एवं उनके पुर्वजों के नाम ज्यादा दर्ज करदी जिसमें वादीगण एवं तरती की प्रतिवादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त का रकबा 0.07 हे० सम्मिलित कर प्रतिवादीगण की खातेदारी में गलत दर्ज कर दिया, जो दुरुस्त किये जाने योग्य है। राजस्व रेकार्ड के उक्त गलत इन्द्राजात से प्रतिवादीगण के मन में बदनीयती आ गई और वे वादीगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग व उपभोग में बाधा कारित करते हैं तथा बिना किसी अधिकार के जबरन कब्जा करने की अभी करीब 15 रोज पूर्व स्पष्ट धमकी दी, इस कारण उक्त वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। यही वाद कारण है। दावा अन्दर मियाद व निर्धारित कोर्ट फीस प्रस्तुत है, जिसे सुनने व तय करने का माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः दावा स्वीकार कर डिक्री फरमाया जावे या बहक वादीगण व बरखिलाफ प्रतिवादीगण जो उचित प्रतीत हो आदेश पारित किये जावे तथा हर्जा खर्चा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(4)

2. वादपत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिश्ता ली गयी तथा दावा काबिले समाअत होना पाया जाने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की सुनवाई के लिए जरिये सम्मन तलबी जारी करवाई गयी।

3. प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 की ओर से न्यायालय में जरिये अपने अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद-पत्र में वर्णित तथ्यों को आंशिक रूप से गलत होना बताकर अस्वीकार करते हुए अभिकथन किया कि प्रतिवादीगण की खातेदारी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज इन्द्राजात सही हैं। हाल राजस्व अभिलेख में वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी के नाम 0.12 हे0 भूमि साबिक रेकार्ड से कम दर्ज किये जाने के तथ्य गलत हैं एवं अस्वीकार है। वास्तविक तथ्य यह है कि उनका उक्त कमी रकबा उनके साबिक खसरा नम्बर 870 से कायम किये गये आराजी हाल खसरा नम्बर 1667, 1668, 1669 व 1670 के रकबे में मिला दिया। वादीगण का कोई रकबा कम नहीं किया गया है। वादीगण स्वच्छ हाथों से नहीं आये हैं। प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने खातेदारी के सम्पूर्ण रकबे पर मौके पर काबिज काश्त है। अतः वादीगण का दावा मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

4. तादौरान सुनवाई प्रतिवादीगण को प्रार्थना पत्र 02 R3,9 dic जवाब पेश करने के लिए अनेकों अवसर प्रदान किये गये, किन्तु उनके द्वारा का जवाब पेश करने के लिए अनेकों अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी कोई जवाब पेश ही नहीं की गई एवं निश्चित दिनांक 4/6/2021 को प्रतिवादीगण एवं इनके विद्वान अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित होने पर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई।

5. वादीगण की ओर से अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी कल्याण उर्फ किशन ने अपने स्वयं का व जवाह फूलचन्द पुत्र बन्शी के बयानों का शपथपत्र पेश किया तथा अभिलेखिय साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 प्रदर्श-1, नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2008-2027 प्रदर्श-2, नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2008-2027 प्रदर्श-3, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श-4, नकल नक्शा ट्रेस हाल प्रदर्श-5, नकल नक्शा ट्रेस पुराना प्रदर्श-6 पेश किया।

6. वादीगण की साक्ष्य पूर्ण होने पर बहस समाअत की गई।

--5

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

23/1/10

विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी इकतरफा बहस में अपने वाद-पत्र के वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए पत्रावली पर प्रस्तुत रिकार्ड शाहदत को इंगित करते हुए वादीगण का दावा स्वीकार कर डिक्री किये जाने की अस्तदुआ की।

7. हमने बहस पर गौर किया तथा पत्रावली के तथ्यों एवं प्रस्तुत रिकार्ड व शाहदत का अवलोकन कर मनन किया।

8. वादीगण द्वारा आराजी मुतनाजा के अपनी खातेदारी के साबिक रकबा के मुकाबिले हाल राजस्व में 0.12 है० रकबा कम दर्ज करने पर उनकी खातेदारी का कमी रकबा हाल आराजी खसरा नम्बर 1019/0.07 गै०मु० आबादी में 0.05 है० सम्मिलित करना तथा शेष 0.07 है० रकबा प्रतिवादीगण की खातेदारी में गलत रूप दर्ज किया जाना जाहिर करते हुए उक्त कमी रकबे की पूर्ति के लिए अपनी खातेदारी कलेम कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जाने का अनुतोष चाहा है। उभयपक्षों के अभिवचनों में किये गये स्वीकार्य तथ्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख साबिक जमाबन्दी एवं हाल जमाबन्दी एवं मीलान क्षेत्रफल की प्रविष्टिया से साबित है कि वादीगण की खातेदारी के साबिक खसरा नम्बर 873 रकबा 2 बीघा किस्म चिकनी त्रिफसा मैट्रिक नाप प्रणाली से हाल रकबा 0.51 है० बनता है के विपरीत सेटलमेन्ट की कार्यवाही के दौरान उक्त आराजीयात के हाल खसरा नम्बर 1018/0.18, 1065/0.09 व 1066/0.12 कुल किता-3 रकबा 0.39 है० कायम कर वादीगण की खातेदारी में दर्ज किया गया है, जो साबिक रकबा के मुकाबिले 0.12 है० रकबा कम है। आराजी साबिक खसरा नम्बर 873 मिन व 874 मि० के सम्मिलित रकबा से हाल खसरा नम्बर 1019/0.07 है० गै०मु० आबादी बराबर होना तथा नगरपालिका के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रमाणित है। राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियों से वादीगण की पूर्व खातेदारी के साबिक खसरा नम्बर 873 का रकबा हाल खसरा नम्बर 1019/0.07 है० में सम्मिलित होना प्रमाणित है। साथ ही वादीगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना था कि उक्त आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 1019 में उनकी पूर्व खातेदारी का 0.05 है० रकबा सम्मिलित है, जिसमें पश्चिम की तरफ की भूमि खिलाफ गैर आबादी में शामिल करदी, जिस पर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीने अपने अपने पुख्ता मकानात बना रखे है तथा रहवास कर रहे है एवं मकान के पूर्व में स्थित आबादी भूमि को मकानों में आने-जाने के व ईंधन, कड़ी आदि डालने तथा मवेशी वगैरा बान्धने के तथा रास्ता के उपयोग व उपभोग में अपने पूर्वजों के समय से लेते आ रहे है। इस प्रकार स्वयं वादीगण के अभिवचनों में की गई स्वीकारोक्ति से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि उक्त आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 1019/0.07 गै०मु०

(6)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

आबादी की भूमि कृषि प्रयोजनार्थ काश्त के उपयोग में नहीं ली जाकर गैर कृषि कार्य के उपयोग में ली जा रही है। उक्त आराजी मौके पर भी गैर कृषि भूमि होना प्रकट होती है। उक्त आराजीयात की किस्म किस आदेश एवं किस आधार पर रूपान्तरित हुई, इस सम्बन्ध में वादीगण एवं उनके योग्य अधिवक्ता द्वारा कोई वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। उक्त आराजी मुतनाजा नगरपालिका के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिसे भी हस्तगत वाद में आवश्यक पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। ऐसी अवस्था में भू-स्वामी को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये उसकी पीठ पीछे से राजस्व रिकार्ड में दर्ज उसके नाम की भूमि कम करके गैर मुमकीन आबादी की अभिलेखिये एवं मौके की भौतिक स्थिति के विपरीत कृषि भूमि के रूप में किस्म परिवर्तन कर वादीगण की खातेदारी स्वीकार करना न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के उल्लंघन होने से विधि सम्मत नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उक्त अनुतोष प्रदान किया जाना उचित एवं न्याय संगत नहीं है। क्योंकि उक्त आराजीयात की किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज हाल राजस्व रिकार्ड है और स्वयं वादीगण ने भी इसे अपने पूर्वजों के समय से काबिज रहकर मकानात आदि बनाकर रहवास एवं अन्य गैर कृषि कार्य हेतु उपयोग में लेना जाहिर किया है, इसके लिए वे विधि अनुरूप कार्यवाही कर उक्त आराजीयात में आवासीय पट्टा प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र हैं।

9. विद्वान अधिवक्ता वादीगण का यह भी कथन था कि उनकी साबिक खातेदारी के मुकाबिले कमी रकबा 0.07 है० प्रतिवादीगण की साबिक खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नम्बर 876 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा के हाल रकबा 0.52 है० के मुकाबिले हाल खसरा नम्बर 1010 से 1014 व 1009 कुल किता-6 रकबा 0.68 है० कायम कर उनकी खातेदारी में दर्ज कर दिया। इसके विपरीत प्रतिवादीगण का अभिकथन था कि वादीगण का कोई रकबा कम नहीं हुआ है, अपितु उनकी साबिक खातेदारी का कमी रकबा उनके साबिक खसरा नम्बर 870 से बरामद हुये हाल आराजी खसरा नम्बर 1667 से 1670 के रकबे में सम्मिलित कर दर्ज कर दिया। उभयपक्षों के अभिवचनों एवं राजस्व रिकार्ड के साबिक व हाल की प्रविष्टियों से साबिक खातेदारी के मुकाबिले हाल रकबे का गलत निर्धारण होना स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है, किन्तु साबिक खसरा नम्बरों के मुकाबिले कमी रकबा किस किस हाल खसरा नम्बर में कितना कितना सम्मिलित के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट

--(7)

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

23/2010.

नहीं है। स्वयं वादीगण ने भी साबिक व हाल खसरा नम्बरान के रकबे की बरारी कर उनका कमी रकबा दुरूस्त करवाने का निवेदन किया है, जो स्वीकार योग्य है।

10. उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का दावा स्वीकार कर इस आदेश के साथ डिक्री किया जाता है कि लेण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा गांव जाजेरखुर्द स्थित आराजी साबिक खसरा नम्बर 873, 874 एवं 876 से कायम किये गये हाल खसरा नम्बरान के रकबे की बरारी कर आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 1010/0.17, 1011/0.10, 1012/0.01, 1013/0.08, 1014/0.08 व 1009/0.24 हे० कुल किता-6 रकबा 0.68 हे० में से 0.07 हे० रकबा प्रतिवादीगण की खातेदारी में से कम (लोप) कर के आराजी हाल खसरा नम्बर 1018/0.18, 1065/0.09 एवं 1066/0.12 हे० कुल किता-3 रकबा 0.39 हे० में सम्मिलित कर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी वादीगण (बजाय प्रतिवादीगण) के नाम दर्ज की जावे। तद्नुसार डिक्री मुर्तिब होकर राजस्व रिकार्ड के अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम कराने हेतु तहसीलदार शाहपुरा के नाम डिक्री आदेश की प्रति के साथ पालनार्थ तहरीर जारी हो।

11. निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28/2/20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
सत्यमेव जयते

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– **श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस**

प्रार्थना पत्र संख्या :– **23/2010**

उनवान

1. भूरा पुत्र परता (मृतक दौराने दावा)
1/1 सुरजमल
1/2 अर्जुन
1/3 हीरालाल
1/4 सीताराम
1/5 राजू उर्फ राजेन्द्र
1/6 श्योराम } पि0 भूरा
1/7 प्रभाती पत्नि भूरा
जाति जाट निवासी ढाणी टीबावाली वार्ड नं0 21 शाहपुरा जिला जयपुर
1/8 बिदामी पुत्र भूरा पत्नि किशन जाति जाट निवासी चिमनपुरा तहसील शाहपुरा
1/9 नन्छी पुत्री भूरा पत्नि मुरली जाति जाट निवासी चिमनपुरा तहसील शाहपुरा
1/10 नानूडी पुत्री भूरा पत्नि कजोड जाति जाट निवासी खटकड किशोरपुरा तह0नीमकाथाना
1/11 गुल्ली पुत्री भूरा पत्नि मालीराम जाति जाट निवासी खटकड किशोरपुरा तह0नीमकाथाना

2 सुन्दर
3 कल्याण उर्फ किलाण } पुत्रान परता जाति जाट निवासी ढाणी टीबावाली वार्ड नं0 21 शाहपुरा
4 कालूराम

वादी

बनाम

1. भैरू
2. साधू पि0 रामनाथ जाति जाट निवासी ढाणी टीबावाली वार्डनं0 21 शाहपुरा
3. माधोलाला
4. कन्हैय्यालाल पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी ढाणी टीबावाली वार्डनं0 21 शाहपुरा
5. राजू पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी ढाणी टीबावाली वार्डनं0 21 शाहपुरा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा
7 उप पंजीयक अधिकारी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

8 नारायण पुत्र बिरदू (मृतक दौराने दावा)

8/1 रामेश्वर
8/2 मुरली
8/3 पूरण
8/4 भागीरथ } पुत्रान नारायण जाति जाट निवास ढाणी टीबावाली वार्ड नं0 21 शाहपुरा
8/5 गोवर्धन
8/6 राकेश
8/7 राकेश
8/8 सोनी पुत्री नारायण पत्नि हनुमान सहाय जाति जाट निवासी ढाणी गंगासागर चिमनुपरा
8/9 मन्नी देवी पुत्री नारायण पत्नि कानाराम जाति जाट निवासी ढाणी महादेव सागर देन देवन तहसील शाहपुरा (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी (जयपुर) राजस्थान

8/9 मेवा देवी पुत्री नारायण पत्नि हनुमानसहाय जाति जाट निवासी ढाणी महादेव सागर तन देवन तहसील शाहपुरा (जयपुर)

तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

आदेश दिनांक 28/2/20

दावा वादीगण का दावा स्वीकार कर इस आदेश के साथ डिकी किया जाता है कि लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा गांव जाजैखुर्द स्थित आराजी साबिक खसरा नम्बर 873, 874, एवं 876 से कायम किये गये हाल खसरा नम्बरान के रकबे की बरारी कर आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 1010/0.17है0, 1011/ 0.10 है0, 1012/0.01है0, 1013/0.08 है0, 1014/0.08है0 व 1009/ 0.24है0 कुल किता 6 रकबा 0.68है0 में से 0.07है0 रकबा प्रतिवादीगण की खातेदारी में से कम (लोप) करके आराजी हाल खसरा नम्बर 1018/ 0.18है0, 1065/ 0.09है0 एवं 1066/0.12 है0 कुल किता 3 रकबा 0.39है0 में सम्मिलित कर राजस्व रिकार्ड में ,खातेदारी वादीगण तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज की जावे । तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को पालनार्थ तहरीर जारी हों।

आज तारीख 28/02/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
		जोड़	
जोड़			